सं 26020/2/2011 सा प्रशा
भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय
सामाय प्रशासा आभाग

कमरा सं 74, उघोग भवन
नई दिल्ली 110107

दिाांक 28/03 / 2011

निविदा सूचना

विषय :- वर्ष 2011-2012 के लिए डी एल वाई टैक्सियों को किराए पर लेने हेतु निविदा सूचना

इस्पात मंत्रालय वर्ष 2011-2012 के लिए मासिक भुगतान आधार पर, जब कभी आवश्यक हो, डी एल वाई वातााुकूलित/गैर वातााुकूलित कारों को किराए पर लो का इच्छुक है । उघोग भवा के 5-6 कि.मी. के दायरे में आनेवाले इच्छुक टैक्सी प्रचालक अवर सचिव (सा प्रशा), इस्पात मंत्रालय, उघोग भवन, नई दिल्ली 110107 को सम्बोधित लिफाफा जिस पर **"इस्पात मंत्रालय के लिए कारों को किराए पर लो हेतु निविदा"** लिखा हो, 13-04-.2011 **को अपराह्न 11.00 बजे तक** संलगन आुलगक में सील बंद निविदा प्रेषित करें । निविदा वाला लिफाफा उघोग भवन, नई दिल्ली के स्वागत अधिकारी के नजदीक रखे निविदा बॉक्स में डाला जाना जा सकता है । पत्राचार के माध्यम से प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा । निविदा के साथ वेतन एवं लेखा अधिकारी, इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफट के रूप में 15,000/- रुपए (पन्द्रह हजार रुपए मात्र) की बयाना राशि संलग होनी चाहिए । मंत्रालय के पास निविदा को बिना कोई कारण बताए स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है ।

2. मंत्रालय को उपलब्ध कराई जाने वाली कारें अच्छी हालत में होनी चाहिए और 2009 मॉडल के पहले की नहीं होनी चाहिए तथा किराए पर लिए जाने की तारीख को 35,000 कि मी से अधिक नहीं चली होनी चाहिए तथा उसमें समुचित गद्दियां और सहायक साजो-समाा, स्टीरियों आदि लगे होो चाहिए। चालक के पास वैध ड्राईविंग लाइसेंस तथा अन्य संबंधित दस्तावेज होो चाहिए ।

3. यदि कोई फर्म किसी मंत्रालय/विभागों को पहले से ही वाहन उपलब्ध करा रही है, तो तत्संबंधी ब्यौरा भी निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाना चाहिए ।

4. निविदा को भेजते समय निामलिखित बातों एवं शर्तों को घ्याान में रखा जाए :-

i) किराए पर ली जाो वाली टैक्सी के मीटर तथा समय की शुरुआत की गणना तथा टैक्सी को छोडते समय किलोमीटर तथा समय की समाप्ति की गणणा उघोग भवना, नई दिल्ली से की जाएगी ।
ii) उद्धृत दरें निविदा अवधि के लिए वैध होंगी जिसे आगे और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने का निार्णय लिया जाता हैं ।
iii) ये दरें आुलगक I पर विहित प्रारुप में उद्धृत होनी चाहिए ।
iv) इस मंत्रालय में संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित डयूटी स्लिपों द्वारा विधिवत समर्थित बिल के प्रस्तुत करनें पर ही भुगताान किया जाएगा ।
v) चालकों को दिल्ली/नौएडा/गाजियाबाद/गुडगांव के मार्गो से पूरी तरह से परिचित होना चाहिए तथा अच्छी वर्दी पहननी चाहिए और उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए ।
vi) तैनात किए जाने वाले चालको का चरित्र समुचित रुप से सत्यापित होना चाहिए तथा उनके ब्यौंरे इस मंत्रालय को उपलब्ध कराए जाने होंगे । चालक के बदले जाने के मामले में पूर्वानुमति लेना अपेक्षित होगा ।
vii) ब्रेकडाउन की स्थिति में फर्म को सूचित किए जाने पर आधे घंटे के भीतर दूसरी कार उपलब्ध करानी होगी ।
viii) वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मासिक आधार पर वाहना की जरुरत होगी । किसी विशिष्ट वाहनो की मासिक विशेष दर अथवा दैकि दर पर कोई रियायत दी जाए, तो इसका उल्लेख स्पष्ट रुप से किया जाए ।

ix) फर्म का लैंडलाइा/मोबाइल नम्बर मंत्रालय को उपलब्ध कराएं ताकि उससे अथवा उसके प्रतिनिधि से किसी भी समय (24 घंटे) संपर्क किया जा सके । चालक के पास भी मोबाइल फोन होना अनिवार्य हैं ।

x) वाहन के दुर्घटाग्रस्त होने तथा किसी अन्य पक्ष को हुई क्षति की स्थिति में सारा दायित्व फर्म का होगा ।

xi) सामान्यत आपूर्ति किए जाो वाले वाहा फर्म/स्वामी/साझेदार के नाम पंजीकृत होनी चाहिए ।

xii) सफल बोली दाता से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह पांच दिनों के भीतर मंत्रालय को दी जाो वाली प्रस्तावित कारों से संबंधित पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा दस्तावेज, प्रदूषण, परमिट आदि प्रस्तुत करें ।

xiii) सफल बोली दाता को 15,000/- रुपए (पांच हजार रुए मात्र) बैंक ड्राफट वेतन एवं लेखा अधिकारी, इस्पात मंत्रालय के पक्ष में नई दिल्ली में भुगतान जमा कराना होगा । संविदा के सफलता पूर्वक पूरा होने पर जमाात राशि वापसी योग्य हैं । फर्म द्वारा चूक किंए जाो अथवा असंतोषप्रद सेवा दो पर जमाात राशि जब्त कर ली जाएगी ।

xiv) किसी भी समय बिना कोई कारण बताए आुबंध को रद्द करने/वापस लेने का अधिकार मंत्रालय के पास सुरक्षित रहेगा ।

xv) निविदा को आनुभाग अधिकारी (सा प्रशा), इस्पात मंत्रालय, कमरा सं 74, उघोग भवन, नई दिल्ली 110107 में 13/04 2011 को अपराहा 11.30 बजे फर्म के मालिक/उसके प्रतिाधियों में से जो भी उपस्थित होाा चाहे के समक्ष खोला जाएगा ।

(अतुल कुमार सिहं)
अनुभाग अधिकारी
दूरभाष 2306 2537

भारत सरकार, नई दिल्ली के सभी मंत्रालय/विभाग । अनुरोध है कि इस टैंडर नोटिस को अपने द्वारा इस कार्य के लिए लगाई गई फर्म के बीच पूरा प्रचार-प्रसार दिया जाए कि इच्छुक तथा शर्तों को पूरा करने वाली फर्में अपनी निविदा प्रस्तुत करें ।

एन आई सी, इस्पात मंत्रालय - अनुरोध है कि इस मंत्रालय के web portal पर डालें ।भारत सरकार, नई दिल्ली के सभी मंत्रालय/विभाग ।

सं 26020/2/2011-सां प्रशा.

अनुलग्नक

A) Daily Charges (Minimum) in Rs.

Sl. No.	Period	Hrs.	Kms.	Tata Indica/ Maruti Wagon R **Non AC**	Tata Indica / Maruti Wagon R **AC**	Indigo /Manza	Swift Dezire
1.	**Full Day**	**10**	**100**				
2.	**Rate of extra per Km**						
3.	**Rate of extra per hrs.**						

B) Monthly Charges (Minimum) in Rs.

Sl. No.	Period	Hrs.	Kms.	Tata Indica/ Maruti Wagon R **Non AC**	Tata Indica / Maruti Wagon R **AC**	Indigo /Manza	Swift Dezire
1.	Full Day	300	3000				
2.	Rate of extra per Km						
3.	Rate of extra per hrs.						